एन. के. न्यायमूर्ति के समक्ष

माहला,-याचिकाकर्ता

बनाम

रूप रैम और अन्य,-उत्तरदाता

1997 का सी. आर. सं. 1938

3 सितंबर, 1998

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, *1994*-धारा 176 *(4)*-हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, *1994*-भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद *227*-क्या ग्राम पंचायत के चुनावों को इस आधार पर दरकिनार किया जा सकता है कि निर्वाचन अधिकारियों ने चुनावों के दौरान अनियमितताएं कीं-आयोजित, चुनावों को केवल धारा *176* में उल्लिखित दो आधारों पर चुनौती दी जा सकती है, कि लौटे उम्मीदवार ने भ्रष्ट प्रथा या अनियमितताएं कीं और गिनती के दौरान अवैधताएं की गईं-केवल इसलिए कि निर्वाचन अधिकारियों ने चुनाव के दौरान कुछ अनियमितताएं कीं, चुनाव को दरकिनार करने के लिए धारा *176* के तहत आधार प्रस्तुत नहीं करता है-पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए निर्वाचन न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया गया।

यह माना गया कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 176 के अवलोकन से पता चलेगा कि केवल दो आधार हैं जिन पर चुनाव को चुनौती दी जा सकती हैः(क) कि वापस लौटे उम्मीदवार ने उप-धारा (5) के अर्थ के भीतर एक भ्रष्ट आचरण किया; (ख) कि गिनती के दौरान कुछ अनियमितताएं और अवैधताएं की गईं, जिस पर अदालत का अनुरोध करते हुए वोटों की जांच और फिर से गिनती का आदेश दिया जा सकता है और उस उम्मीदवार को विधिवत निर्वाचित घोषित किया जा सकता है जिसके पक्ष में सबसे अधिक वैध वोट पाए गए हैं।वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण ने पाया है कि लौटे उम्मीदवार ने कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया था।इसलिए, चुनाव याचिकाकर्ता केवल तभी सफल हो सकता था जब वह साबित कर दे कि गिनती के दौरान कुछ अनियमितताएं की गई थीं और फिर से गिनती होने पर लौटे उम्मीदवार को किसी भी अन्य उम्मीदवार की तुलना में कम वोट मिले।ऐसा नहीं हुआ है।मतों की गिनती नहीं की गई है।सिर्फ इसलिए कि चुनाव

अधिकारियों ने चुनाव के दौरान कुछ अनियमितताएं कीं जो लौटे उम्मीदवार के चुनाव को दरकिनार करने के लिए आधार नहीं है।चुनाव के दौरान जो भी अनियमितताएं की गईं, वे चुनाव याचिकाकर्ता को वापस आए उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देने का आधार नहीं देती हैं।मामले के इस दृष्टिकोण में, विवादित आदेश को वापस लौटे उम्मीदवार के लिए बनाए नहीं रखा जा सकता है।

(पैरा 7 &8)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरुण जैन ने कहा।

अतुल लखनपाल, प्रतिवादी 1 के लिए अधिवक्ता।

निर्णय

एन. के. सोधी, न्यायमूर्ति

(1) यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर दो संशोधन याचिकाओं 1938 और 1997 की 3003 का निपटारा करेगा, जो दोनों अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), फतेहाबाद द्वारा पारित 17 अप्रैल, 1997 के आदेश से उत्पन्न होती हैं, जिसमें उन्होंने

हरियाणा राज्य को नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश के साथ फौजा सिंह के बेटे मेहला के ग्राम पंचायत, हिजरवान कलां के सरपंच के रूप में चुनाव को रद्द कर दिया है।चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधिकरण ने पाया कि नफे सिंह और सुरेश कुमार कासवान, जो दो मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारी थे, अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरत रहे थे और उन्हें रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। प्रत्येक को अपने वेतन से राज्य सरकार को नए सिरे से चुनाव कराने के खर्च के रूप में 2500 रुपये दिए जाते हैं।मेहला ने 1997 का सिविल संशोधन 1938 दायर किया है, जिसमें आदेश के उस हिस्से को चुनौती दी गई है जिसमें उनके चुनाव को दरकिनार कर दिया गया है, जबकि नफे सिंह और सुरेश कुमार ने उनके खिलाफ चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश को चुनौती देते हुए दूसरी याचिका दायर की है।

(2) गाँव हिजरवान कलां, तहसील-फतेहाबाद, जिला हिसार की ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 11 दिसंबर, 1994 को हुए थे।याचिकाकर्ता रूप राम और कुछ अन्य लोगों के साथ पंच पद के लिए उम्मीदवार थे।याचिकाकर्ता को 12 मतों के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया।रूप राम प्रतिवादी ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), फतेहाबाद के समक्ष याचिकाकर्ता के चुनाव को चुनौती देते हुए एक चुनाव याचिका दायर की।चुनाव को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी।यह आरोप लगाया गया था कि कुछ व्यक्तियों में मतों का दोहरा पंजीकरण हुआ था जो वार्ड नं. में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत थे। वार्ड संख्या 8 में 1 और वार्ड संख्या 1 के कुछ अन्य वार्ड संख्या 2 में पंजीकृत थे, जबकि वार्ड संख्या 3 में पंजीकृत कुछ मतदाता वार्ड संख्या 8 में भी पंजीकृत थे।यह भी आरोप लगाया गया कि पीठासीन अधिकारी।पी. एफ. मतदान केंद्रों और निर्वाचन अधिकारी ने लौटे उम्मीदवार के राजनीतिक प्रभाव के साथ और उसके तहत चुनाव के संचालन में विभिन्न अवैधताओं और अनियमितताओं को अंजाम दिया।यह कहा गया है कि मतदान केंद्र 107,109 और 110 पर मतों की गिनती की गई और परिणाम निर्वाचन अधिकारी को दिया गया, लेकिन खान मोहम्मद और दौलतपुर (मतदान केंद्र 105,106 और 108) के मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी ने वहां मतों की गिनती नहीं की और बिना मुहर के मतपेटियों को हिज़ावन कलां ले गए, जहां चुनाव याचिकाकर्ता या उनके प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में मतपेटियों की गिनती की गई और यह कि वापस आए उम्मीदवार के साथ मिलकर गणना करने वाले कर्मचारियों ने विभिन्न अनियमितताएं कीं।हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियमों (संक्षेप में नियम) के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया था।याचिका को याचिकाकर्ता और राम कुमार के बेटे दौलत राम ने चुनौती दी थी, जिन्होंने चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों के विरोध में अपने लिखित बयान दायर किए थे।यह माना गया कि चुनाव वैधानिक प्रावधानों के अनुसार आयोजित किया गया था और पूरे चुनाव के दौरान किसी भी स्तर पर कोई अवैधता या अनियमितता नहीं की गई थी।यह भी अनुरोध किया गया था कि चुनाव याचिका में कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया था और और याचिका को बर्खास्त कर दिया।प्रत्यर्थी 1, जो चुनाव याचिकाकर्ता था, ने लिखित बयान में ली गई दलीलों का विरोध करते हुए एक प्रत्युत्तर दायर किया और चुनाव याचिका में उन दलीलों को दोहराया।

(3) 13 सितंबर, 1995 को जब चुनाव याचिका अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आई तो चुनाव याचिकाकर्ता और लौटे उम्मीदवार ने सहमति व्यक्त की कि वोटों की फिर से गिनती की जाए और उसी के अनुसार परिणाम घोषित किया जाए।चुनाव याचिकाकर्ता ने लौटे उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देने के अन्य सभी आधारों को छोड़ दिया।चुनाव याचिकाकर्ता ने रुपये की राशि जमा की। 5, 000 जो वापस किए गए उम्मीदवार को याचिका खारिज होने की संभावना के तहत लागत के रूप में देय था।उस तारीख को पारित एक अलग आदेश द्वारा अदालत ने वोटों की फिर से

गिनती का आदेश दिया और अधिकारियों को चुनाव प्रतिशत रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया। सरकारी वकील श्री आर. के. छाबड़ा को अदालत द्वारा नामित/स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया गया था।

मतों की गणना।चुनावी रिकॉर्ड 17 नवंबर, 1995 को अदालत में पेश किया गया था, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ था।चूंकि बार-बार अवसरों के बावजूद पूरा रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया था, इसलिए अदालत ने 6 जून, 1996 के एक आदेश द्वारा निम्नलिखित दो मुद्दों को तैयार कियाः—

> "(1) क्या हिसार जिला की ग्राम हिजरवान कलान तहसील फतेहाबाद की ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में प्रतिवादी 1 का चुनाव पूर्ण चुनावी रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने के आधार पर अलग रखा जाना चाहिए?ओपीपी
>
> (2) राहत मिलती है।"

(4) पी. याचिकाकर्ता (सिविल 1996 का संशोधन 26929 दायर किया गया) ने 6 जून, 1996 के आदेश को चुनौती देते हुए उपरोक्त मुद्दे को तैयार किया।उस याचिका को 2 सितंबर, 1996 को मंजूरी दी गई थी और उसमें विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया था।हालाँकि, यह चुनाव याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों को उठाने के लिए खुला छोड़ दिया गया था।दीवानी पुनरीक्षण के निर्णय के बाद न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित 11 मुद्दों को तैयार कियाः—

(5) क्या हिजरवान कलान तहसील फतेहाबाद जिला हिसार की ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में प्रत्यर्थी का चुनाव प्रत्यर्थी द्वारा भ्रष्ट प्रथाओं को अपनाने के आधार पर अलग किया जाना चाहिए?ओपीपी

(2) क्या गांव हिजरवान कलां तहसील फतेहाबाद जिला हिसार की ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में प्रत्यर्थी का चुनाव निर्वाचन अधिकारियों द्वारा चुनाव के संचालन में अवैधता और अनियमितताओं के आधार पर अलग किया जाना चाहिए, जैसा कि आरोप लगाया गया है?ओपीपी

(3) क्या याचिकाकर्ता को वर्तमान याचिका दायर करने से उसके अपने कार्य और आचरण से वंचित किया जाता है?ओपीपी

(4) क्या याचिकाकर्ता के पास वर्तमान याचिका दायर करने के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं है?ओ. पी. आर

(5) क्या इस अदालत के पास वर्तमान याचिका पर विचार करने और मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है?ओ. पी. आर

(6) क्या याचिका कानून और नियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं है?यदि ऐसा है तो इसका क्या प्रभाव होगा?ओ. पी. आर

(7) क्या याचिका पर ठीक से हस्ताक्षर और सत्यापन नहीं किया गया है?यदि ऐसा है तो इसका क्या प्रभाव होगा?ओ. पी. आर

(8) क्या याचिका अस्पष्ट है?यदि ऐसा है तो इसका क्या प्रभाव होगा?ओ. पी. आर

(9) याचिकाकर्ता द्वारा 13 सितंबर, 1995 को दिए गए बयान का क्या प्रभाव है?ओ. पी. आर

(10) क्या प्रत्यर्थी विशेष लागत का हकदार है?ओ. पी. आर

(11) ' राहत मिलती है।"

(5) दलों के साक्ष्य दर्ज करने और उस पर विचार करने के बाद, मुद्दा संख्या 1 का निर्णय चुनाव याचिकाकर्ता के खिलाफ और वापस लौटे उम्मीदवार के पक्ष में यह मानते हुए किया गया कि बाद वाले द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया गया था।मुद्दा संख्या 2 का फैसला चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में किया गया था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि खान मोहम्मद और दौलतापुर में बूथों के मतपेटियों को उचित मुहरों के बिना ले जाया गया था और यह कि गिनती जारी थी और यह चुनाव याचिकाकर्ता और उनके चुनाव एजेंटों की अनुपस्थिति में की गई थी और उन्हें मुहरों का निरीक्षण करने का अवसर नहीं दिया गया था और मतपत्रों को अस्वीकार कर दिया गया था।यह भी माना गया कि लौटे उम्मीदवार द्वारा मतपत्रों का एक बंडल खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था और मतपत्रों की ठीक से गिनती नहीं की गई थी।मुद्दा संख्या 3 से 6 और 8 से 10 * भी चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में और लौटे उम्मीदवार के खिलाफ निर्णय लिया गया था।मुद्दा संख्या 7 का फैसला आंशिक रूप से चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में और आंशिक रूप से लौटे उम्मीदवार के पक्ष में किया गया था।अंक संख्या 2 पर निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए लौटे उम्मीदवार (याचिकाकर्ता) के चुनाव को दरकिनार कर दिया गया और हरियाणा राज्य को नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश दिया गया।न्यायाधिकरण ने पाया कि खान मोहम्मद और दौलतपुर के बूथों के पीठासीन अधिकारी अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरत रहे थे।इन दोनों अधिकारियों को रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। प्रत्येक अपने वेतन में से 2500 राज्य सरकार को देते हैं।इसलिए, ये पुनरीक्षण याचिकाएँ हैं।

(6) मैंने उन पक्षों के वकीलों को सुना है जिन्होंने मुझे चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश के माध्यम से लिया है।न्यायाधिकरण द्वारा वापस लौटे उम्मीदवार के चुनाव को रद्द कर दिया गया है और उसके खिलाफ मुद्दा संख्या पर निर्णय दर्ज किया गया है।2. यह मुद्दा निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्वाचन के संचालन में अवैधता और अनियमितताओं से संबंधित है जैसा कि निर्वाचन याचिकाकर्ता (प्रतिवादी 1 यहाँ) द्वारा आरोप लगाया गया है।इस मुद्दे पर चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के गुण-दोष में गए बिना और उन निष्कर्षों को उनके अंकित मूल्य पर लेते हुए, मेरी राय है कि 1997 का 1938 का नागरिक संशोधन सफल होने का हकदार है।न्यायाधिकरण ने जो निर्णय दिया है वह यह है कि चुनाव के संचालन के दौरान निर्वाचन अधिकारियों द्वारा विभिन्न अवैधताएं और अनियमितताएं की गई थीं, लेकिन न्यायाधिकरण द्वारा पाई गई ऐसी अवैधताओं या अनियमितताओं का आयोग हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 176 (4) के तहत लौटे उम्मीदवार के चुनाव को रद्द करने का आधार नहीं है।अधिनियम की धारा 176 में चुनाव लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति या चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य किसी भी व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच के किसी भी चुनाव की वैधता को चुनौती देने का प्रावधान है।इस धारा की उप-धारा (4) उन आधारों की गणना करती है जिनके आधार पर एक लौटे उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती दी जाती है।यह प्रावधान इस प्रकार है:—

> "(4) (क) यदि ऐसी जांच के आयोजन पर सिविल कोर्ट पाता है कि किसी उम्मीदवार ने चुनाव के उद्देश्य से, उप-धारा (5) के अर्थ के भीतर एक भ्रष्ट प्रथा को अंजाम दिया है, तो वह चुनाव को रद्द कर देगा और उम्मीदवार को चुनाव के उद्देश्य के लिए अयोग्य घोषित कर देगा और फिर से चुनाव कराया जा सकता है।
>
> (ख) यदि किसी मामले में, जिसमें खंड (क) लागू नहीं होता है, दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के बीच चुनाव की वैधता पर विवाद है, तो अदालत प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज मतों की जांच और गणना के बाद, उस उम्मीदवार को, जिसके पक्ष में सबसे अधिक वैध मत पाए गए हैं, विधिवत निर्वाचित घोषित करेगी:
>
> बशर्ते कि ऐसी गणना के बाद, यदि कोई हो, किसी भी उम्मीदवार के बीच मतों की समानता पाई जाती है और एक मत जोड़ने से कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होने का हकदार हो जाएगा, ऐसे उम्मीदवार या उम्मीदवारों के पक्ष में प्राप्त वैध मतों

की कुल संख्या में एक अतिरिक्त मत जोड़ा जाएगा, जो न्यायाधीश की उपस्थिति में उस तरीके से चुना जाता है जो वह निर्धारित करे।"

(7) उपरोक्त प्रावधान के प्रति एक अवलोकन से केवल दो आधार दिखाई देंगे जिन पर चुनाव को चुनौती दी जा सकती है:(क) कि वापस लौटे उम्मीदवार ने उप-धारा (5) के अर्थ के भीतर एक भ्रष्ट प्रथा को अंजाम दिया; (ख) कि गिनती के दौरान कुछ अनियमितताएं या अवैधताएं की गईं जिन पर अदालत से अनुरोध करने पर वोटों की जांच और फिर से गिनती का आदेश दिया जा सकता है और उस उम्मीदवार को विधिवत निर्वाचित घोषित किया जा सकता है जिसके पक्ष में सबसे अधिक वैध वोट पाए गए हैं।वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण ने पाया है कि लौटे उम्मीदवार ने कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया था।इसलिए, चुनाव याचिकाकर्ता केवल तभी सफल हो सकता था जब वह साबित कर दे कि गिनती के दौरान कुछ अनियमितताएं की गई थीं और फिर से गिनती होने पर लौटे उम्मीदवार को किसी भी अन्य उम्मीदवार की तुलना में कम वोट मिले थे।ऐसा नहीं हुआ है।मतों की गिनती नहीं की गई है।केवल इसलिए कि चुनाव अधिकारियों ने चुनाव के दौरान कुछ अनियमितताएं कीं, लौटने वाले उम्मीदवार के चुनाव को दरकिनार करने का कोई आधार नहीं है। विवादित आदेश को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि याचिका में लगाए गए आरोप कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करते हैं और इसमें उल्लिखित अवैधताएं या अनियमितताएं चुनाव को रद्द करने को उचित नहीं ठहराती हैं।न्यायाधिकरण ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और इसके बजाय इस अदालत की एक खंड पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया। गुड़ी देवी बनाम राज्य चुनाव आयुक्त हरियाणा और अन्य[1] जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही अधिनियम की धारा 176 की उप-धारा (4) में चुनाव को चुनौती देने के लिए सीमित आधार दिए गए हों, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के दौरान की गई अन्य गलतियों, अनियमितताओं या अवैधताओं के आधार पर इसे चुनौती दी जा सकती है और प्रभावित पक्ष चुनाव याचिका के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है।गुड़ी देवी के मामले में फैसले की शुद्धता पर अंजू बनाम अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश और अन्य में संदेह किया गया था और मामले को पूर्ण पीठ को भेजा गया था।गुड़ी देवी के मामले में फैसले को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि यह सही कानून निर्धारित नहीं करता है और अंजू के मामले[2] में पूर्ण पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:—

" चुनाव या मतदान करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक अधिकार।यह एक सामान्य कानूनी अधिकार भी नहीं है।यह सिर्फ एक वैधानिक अधिकार है-इस तरह के चुनाव के लिए प्रावधान करने वाले क़ानून द्वारा बनाया गया अधिकार।कोई भी चुनाव लड़ सकता है या उसमें मताधिकार के अधिकार का प्रयोग केवल उस क़ानून द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन कर सकता है।चुनाव पर विवाद करने के अधिकार के संबंध में भी यही स्थिति है।चूँकि ये वैधानिक अधिकार हैं, इसलिए इनका प्रयोग केवल क़ानून के अनुरूप ही किया जा सकता है और अन्यथा नहीं।यदि कानून प्रदान करता है जिन आधारों पर चुनाव को चुनौती दी जा सकती है, उन्हें केवल उन्हीं आधारों पर चुनौती दी जा सकती है और किसी अन्य आधार पर नहीं।एक चुनाव न्यायाधिकरण पूर्ण अधिकार क्षेत्र का न्यायालय नहीं है और इसके अधिकार क्षेत्र का प्रयोग इसे बनाने वाले क़ानून द्वारा नियंत्रित और सीमित है और यह केवल कानूनों में निर्दिष्ट आधारों पर एक चुनाव याचिका पर विचार कर सकता है।"

(8) चुनाव के दौरान जो भी अनियमितताएं की गईं, वे चुनाव याचिकाकर्ता को वापस आए उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देने का आधार नहीं देती हैं।मामले के इस दृष्टिकोण में, विवादित आदेश को वापस लौटे उम्मीदवार के लिए बनाए नहीं रखा जा सकता है।

(9) इसके परिणामस्वरूप, मेहला द्वारा दायर सिविल संशोधन 1938-ऑफ 1997 को

---

1 1995 पी. एल. जे 285

2 ए. आई. आर. 1998 पी एंड एच 140

वापस किए गए उम्मीदवार को अनुमति दी जाती है और विवादित आदेश उसे दरकिनार कर देता है।

(10) जहां तक दूसरी पुनरीक्षण याचिका का संबंध है, न्यायाधिकरण ने पक्षकारों के नेतृत्व में साक्ष्य पर विचार करने पर पाया कि याचिकाकर्ता जो खान मोहम्मद और दौलतपुर गाँवों के बूथों पर पीठासीन अधिकारी थे, मतपेटियों को उचित मुहरों के बिना ले गए जो नियमों का घोर उल्लंघन था।यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उन निष्कर्षों पर अपील नहीं करता है।चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई अधिकारिता संबंधी त्रुटि नहीं बताई गई है, इसलिए मुझे इन याचिकाकर्ताओं के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है।नतीजतन, 1997 का सिविल संशोधन 3003 खारिज कर दिया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

आरएनआर

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

डा० सुशीला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रोहतक,हरियाणा